

*[Handwritten mark]*

15/04/19 पत्रावली भेज दी। पत्रकारन वकील 3 मं  
 टी वकील साक्षी ने साक्ष को उगने नहीं  
 चलाने देते निवेदन किया है एवं इस  
 बाबत Not Press भी किया है अतः  
 साक्षी का साक्ष काश 131 व 136 L.R. स्थ.  
 का Not Press में रखा है किया गया।  
 पत्रावली कैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर  
 से काम होकर दारखत इफ्तार हो। मोरेश  
 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

*[Handwritten signature]*  
 Not Press

*[Handwritten signature]*  
 उप खण्ड अधिकारी  
 साँभर लोक

